सेक्स गुलामी या श्रमिकों का शोषण ? मानव तस्करी के बारे में भारत को पुनर्विचार करने की आवश्यकता

Sex Slavery or Labor Exploitation? India's Need to Rethink Human Trafficking

प्रभा कोटिश्वरन
Prabha Kotiswaran
March 26, 2012

आजकल मानव तस्करी की खबरों में खूब चर्चा है. इन रिपोर्टों में अधिकांश खबरें ऐसी हैं कि जिनमें तीसरी दुनिया के शहरों की तंग गलियों और बंद दीवारों में कैद यौन-कर्मियों की चिर-परिचित कहानियाँ रहती हैं. इन किस्सों में भारत की चर्चा प्रमुख रूप में रहती है. उदाहरण के लिए *न्यूयॉर्क टाइम्स* के स्तंभकार और यौन तस्करी पर छियालीस से अधिक लेखों के लेखक निकोलस क्रिस्टोफ़ ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिशन नामक अमरीकी दास मुक्ति संगठन के एक आंदोलनकारी के साथ मिलकर हाल ही में कोलकाता के सोनागाछी नाम के सबसे बड़े रैड लाइट एरिया में प्रच्छन्न रूप में छापे मारे. उनके दावे के अनुसार इन छापों में पाँच ऐसी लड़कियों के जीवन को "रूपांतरित" कर दिया गया, जिनका कुछ ही घंटों में बलात्कार किया जाना था. क्रिस्टोफ़ जैसे पत्रकार मानव तस्करी के साथ-साथ यौनकर्म को जोड़कर तस्करी को समन्वित करने की प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए पश्चिमी नैतिक बलात्कार को विकासशील देशों में "आधुनिक युग की दासता" कहते हैं. जहाँ क्रिस्टोफ़ का यह हस्तक्षेप मानव तस्करी पर होने वाली समकालीन बहस का एक उदाहरण माना जा सकता है, वहीं यह भी पूछा जाना महत्वपूर्ण है कि भारत मानव तस्करी की इस समस्या का सामना कैसे करेगा जबकि कामगारों की 92% आबादी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो और जिनमें से अधिकांश कामगार बहुत ही कठिन हालात में काम करने वाले प्रवासी हों.

जून, 2011 में, भारत ने मानव तस्करी पर रोक लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज़ अर्थात् संयुक्त राष्ट्र के प्रोटोकॉल का वैयक्तिक स्तर पर विशेषकर महिलाओं और बच्चों (अर्थात् प्रोटोकॉल) की तस्करी को रोकने, दबाने और दंडित करने के लिए समर्थन किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ़ संयुक्त राष्ट्र 2000 के सम्मेलन का पूरक है. इस प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ता देशों की अपेक्षा है कि शोषण के उद्देश्य से बल प्रयोग, गबन, जबर्दस्ती या अपनी हैसियत का दुरूपयोग करते हुए उनकी भर्ती करने, उन्हें शरण देने या उन्हें लाने-ले जाने से संबंधित मानव तस्करी के सभी रूपों को अपराध घोषित किया जाए. यद्यपि प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसे परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी शोषण में कम से कम दूसरों से वेश्यावृत्ति कराने या अन्य प्रकार के यौन शोषण, जबरन मजबूरी या सेवाएँ या दासता या अंग निकालने जैसी गुलामी या प्रथाएँ शामिल हैं. दूसरे शब्दों में प्रोटोकॉल का उद्देश्य है कि इसके अंतर्गत सिर्फ़ वेश्यावृत्ति ही नहीं, बल्कि अन्य श्रम क्षेत्रों की मानव तस्करी भी आनी चाहिए.

फिर भी जब भारत ने सन् 2002 में प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसका समर्थन किया तो उस बीच में वेश्यावृत्ति को मिटाने और सीमाओं को नियंत्रित करने की विचारधारा से संबंधित दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य देशों द्वारा प्रोटोकॉल का उपयोग करने से मानव तस्करी की समस्या की कानूनी प्रतिक्रिया पर काफ़ी प्रभाव पड़ चुका था. इन पर 2000 के अमरीकी

कानून, मानव तस्करी के शिकार और हिंसा संरक्षण अधिनियम (वीटीवीपीए) और तत्कालीन बुश प्रशासन की वेश्या-विरोधी विभिन्न नीतियों का विशेष प्रभाव पड़ा. सन् 2001 से मानव तस्करी के शिकार और हिंसा संरक्षण अधिनियम (वीटीवीपीए) के अंतर्गत अमरीकी विदेश विभाग राष्ट्रीय सरकारों को उनके वरीयता क्रम से मानव तस्करी को रोकने, मानव तस्करों पर मुकदमा चलाने और मानव तस्करी के शिकार लोगों के संरक्षण के लिए उनके कार्यपरिणामों के आधार पर आर्थिक मदद देता रहा है.जिन देशों के कार्य-परिणाम अच्छे नहीं रहते, वे व्यक्तियों की वार्षिक मानव तस्करी (टीआईपी) रिपोर्ट के टियर तीन में आ जाते हैं और उनकी गैर-मानवीय,गैर-व्यापार संबंधी विदेशी सहायता रोके जाने का खतरा मंडराने लगता है. सन् 2009 तक व्यक्तियों की वार्षिक मानव तस्करी (टीआईपी) रिपोर्ट मोटे तौर पर यौन तस्करी पर ही केंद्रित रहती थी.

मानव तस्करी की समस्या के संबंध में भारत की प्रतिक्रिया वार्षिक मानव तस्करी (टीआईपी) रिपोर्ट से प्रभावित रही है. 2001 और 2002 के बीच टियर दो की 'वाच लिस्ट' में पदावनत होने से पहले वार्षिक मानव तस्करी (टीआईपी) रिपोर्ट में भारत का स्थान टियर दो में था. परंतु सन् 2006 से भारत सरकार टीआईपी रैंकिंग में पदोन्नत होने के लिए उत्सुक थी और इसी कारण उसने भारतीय यौनकर्म विरोधी आपराधिक नियम, अनैतिक मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम,1986 में संशोधन का प्रस्ताव करके मानव तस्करी विरोधी नियमों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया. यहाँ उसने स्वीडिश मॉडल को अपनाते हुए मानव तस्करी से जुड़े यौनकर्मियों के ग्राहकों को भी अपराधी घोषित करने का प्रयास किया.परंतु मोटे तौर पर मानव तस्करी में लिप्त सभी यौनकर्मियों को परिभाषित करने का प्रयास किया और इस प्रकार सभी ग्राहकों को भी अपराधी घोषित कर दिया गया. परंतु दिलचस्प बात यह है कि इस संशोधन को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में गहरे मतभेद होने के कारण यह संशोधन संसद में पारित न हो सका, क्योंकि इस नीति से सरकार द्वारा एचआईवी के रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों को नुक्सान पहुँचने की आशंका थी.फिर भी यह स्पष्ट है कि भारत ने यौन तस्करी और यौनकर्म से जुड़ी मानव तस्करी को अच्छी तरह से समझ लिया है.

वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए मानव तस्करी की समस्या के संदर्भ में भारत की प्रतिक्रिया उपमहाद्वीप में कोई अनूठी नहीं है. वास्तव में वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों की मानव तस्करी की रोकथाम और मुकाबले के लिए 2002 का सार्क सम्मेलन 2000 के संयुक्त राष्ट्र के प्रोटोकॉल के बजाय वेश्यावृत्ति पर आयोजित 1949 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसरण में आयोजित किया गया था. मानव तस्करी से यौन तस्करी तक संकल्पनामूलक परिवर्तन से हैरानी ज़रूर होती है, लेकिन हम पाएँगे कि इस उपमहाद्वीप में लाखों बंधक मज़दूर, जबरन काम करने वाले मज़दूर, बाल श्रमिक और प्रवासी कामगार ऐसे हैं, जिन्हें नेमी रूप में भर्ती किया जाता है और झूठे वायदे करके काम संबंधी शोषण के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ले जाया जाता है. इन कामगारों में शामिल हैं, वे पुरुष, महिलाएँ और बच्चे जो भारत के ईंट के भट्टों में, चावल की मिलों, खेतों, कढ़ाई के कारखानों, खानों और पत्थर की खदानों में काम करते हैं और इनमें घरेलू कामगार, भिखारी, खेतिहर कामगार और कालीन बुनकर भी शामिल हैं.वास्तव में भारत में 90 प्रतिशत मानव तस्करी आंतरिक रूप में होती है.प्रोटोकॉल की व्यापक परिभाषा के अनुसार इन सभी मज़दूरों को मानव तस्करी के अंतर्गत माना जा सकता है.

बंधक मज़दूर, जबरन प्रवासन और ठेके पर काम करने वाले मज़दूरों और अंतर्राज्यीय प्रवासी मज़दूरों के काम की शोचनीय स्थितियों से संबंधित सामाजिक वास्तविकताओं का सामना करने के लिए साम्राज्यवादी शासन के परवर्ती काल में भारत ने सत्तर के दशक में अनेक कानून पारित किए हैं. अस्सी के दशक में भारत के उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक हित के मामलों के उत्साही दिनों में क्रमिक रूप से इनकी व्याख्या भी की थी. आगामी दशकों में इन घरेलू कानूनों को बहुत ही खराब ढंग से लागू किए जाने के बावजूद ये कानून समकालीन मानव तस्करी विरोधी कानून के उपयोगी वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करते हैं. इन कानूनों के न्यायिक विश्लेषण से एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि श्रमिक के रूप में जबरन प्रविष्टि की मोटी वजह (छल-कपट के स्पष्ट कारण के बजाय) गरीबी की पृष्ठभूमि भी होती है. इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि काम के शोषणमूलक हालात को बदलने पर ज़ोर दिया जाए. इसके अलावा, समकालीन मानव तस्करी विरोधी कानून मानव तस्करी के शिकार लोगों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए और वह भी मुकदमे में सहायता प्रदान करने की शर्त के साथ आपराधिक न्यायिक प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं और कमज़ोर पुनर्वास योजनाओं की पेशकश करते हैं. इसके ठीक विपरीत इन कानूनों को श्रम निरीक्षकों द्वारा लागू किया जाना होता है और भर्तीकारों और ठेकेदारों जैसे बिचौलियों पर उन्हें उपयुक्त वेतन देने और प्राथमिक नियोक्ता के समर्थन के साथ काम के हालात की ज़िम्मेदारी थोप दी जाती है.

यदि भारत *शोषण के लिए जबरन प्रवासन* के मूल अर्थ को सामने रखकर मानव तस्करी की समस्या को हल करने के लिए राजनैतिक रूप में प्रतिबद्ध है तो इसे आंतरिक प्रवासन और बाह्योन्मुखी उत्प्रवासन के दोनों लक्ष्यों के साथ अपने घरेलू कानूनों को एक बार फिर से जाँचना होगा और उन्हें सुदृढ़ करना होगा. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने हाल ही में मानव तस्करी विरोधी कानूनों को लागू करने के लिए श्रम मशीनरी की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया है. इस प्रकार भारत को मानव तस्करी के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय विचारों का मुकाबला करने के लिए अन्य विकासशील देशों को नेतृत्व प्रदान करना होगा. इसके बजाय वह प्रोटोकॉल से उत्पन्न गति का उपयोग श्रम नियमों में सार्थक सुधार लाकर एक अवसर के तौर पर रचनात्मक रूप में कर सकता है. जहाँ विकासशील देश विचारधारा संबंधी उद्देश्यों (जैसे वेश्यावृत्ति को मिटाने) या राजनैतिक उद्देश्यों (जैसे गैर-कानूनी प्रवासन को रोकने के लिए सीमा नियंत्रण जैसे उद्देश्यों) को प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए पश्चिमी देशों के चुनींदा एजेंडे का मुकाबला करने में असमर्थ रहते हैं,वहीं भारत को मानव तस्करी को पुनर्परिभाषित करने का एक और अवसर मिल गया है ताकि वह प्रोटोकॉल के हाल ही के अपने समर्थन के आलोक में घरेलू कानून में सुधार कर ले.

प्रभा कोटिश्वरन लंदन विश्वविद्यालय के पूर्वी व अफ्रीकी अध्ययन स्कूल में विधि की लेक्चरर हैं. उनकी कृतियाँ हैं, खतरनाक सेक्स, अदृश्य श्रमिक और भारत में विधि-व्यवस्था (प्रिंस्टन 2011/ओयूपी भारत 2011) और सेक्स वर्कः ए रीडर (वुमेन अनलिमिटेड, 2011) की संपादिका हैं.

हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, भारत सरकार <malhotravk@hotmail.com>